को दर्ज हो।

23/7/25

पत्रा० पेश हुई। दावा अदम - हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रा० पत्र 212 RTI का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र 212 RTI इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:10:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner